

06/3/24

फावली पैथ हुई। वकील वादी
हासिस्त। प्रतिवर्षिगत की तलछी नहीं
हूई है। तलवाना पैथ नहीं विद्य
गया है। इस हेतु पूर्व में भी
अनेक अवसर दिये जा चुके हैं।
और अवसर दिये जाने का कोई
व्याप-संगत कारण प्रकट नहीं किया
है। अतः वादी का प्रस्ताव अस्वी
09 नियम 05 कल के प्रावधान अनुसार
स्वाधीन किया जाता है।



सहायक कलक्टर
लामसोट जिला-दीसा (राज.)